

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड— लो0नि0वि0  
हरदोई

पत्राक 268/18 सी

दिनांक 16/02/2022

प्रमाणित किया जाता है कि डा0 बी0 आ0 अम्बेडकर एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसइटी द्वारा संचालित नन्द रानी कालिज ऑफ फॉर्मेसी 74, उत्तरी आलूथोक भट्टापुरवा जिला—हरदोई भवन का निरक्षण दिनांक 08/02/2022को किया गया। निर्मित/प्रस्तावित भवन बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार है तथा सम्पूर्ण भवन भूकंपरोधी है, उक्त भवन भुकम्प जोन 4 व 5 के अन्तर्गत नहीं आता है। भवन प्रथम दृटया सुरक्षित एवं मजबूत प्रतीत होता है। नेशनल बिल्डिंग कोड -2005 की चैकलिस्ट के अनुसार बिन्दुवार आख्या सलंगन है।

संलग्नक — चैकलिस्ट

  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0  
हरदोई

नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुसार भवन की चेकलिस्ट

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

(ग) महाविद्यालयों एव अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं हेतु चेकलिस्ट

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिंदु	जाँच आख्या
1	भवन एक मंजिला है अथवा दो मंजिला है	हाँ
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल ०.50 है (5000 वर्ग मी०)	हाँ
3	क्या भवन में पार्किंग के लिये समुचित व्यवस्था है ।	हाँ
4	क्या भवन में ओरिएन्टेशन ऐस है कि पर्याप्त विकास एवं हवा का सर्कुलेशन है ।	हाँ
5	क्या मुख्या पंहुच मार्ग (एप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है ।	हाँ
6	क्या भवन का छत आर०सी०सी० की बनी है। यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में तो नहीं लायी गयी है ।	हाँ
7	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मसालें से बनी है ।	हाँ
8	क्या भवन की दीवारें / छतों में क्रैक है ।	नहीं
9	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई न्यूनतम 3.60 मी० (ढंडे क्षेत्रों में 3.0 मी० है)	हाँ
10	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वारा (वाउण्ड्री वाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊंचाई 4.5 मी० है ।	हाँ
11	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल 1.0 प्रतिशत है। खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं है ।	हाँ
12	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे है ।	हाँ
13	क्या कक्षा की दरवाजे की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी०, ऊंचाई 2.0 मी० है)	हाँ

14	क्या एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में जाने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है ।	हाँ
15	क्या भवन का कक्षों में जीने की अधिकतम दुरी 22.50 मी० है ।	हाँ
16	क्या भवन में रसोईघर भवन से अलग है ।	नहीं
17	क्या भवन से मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है ।	हाँ
18	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशमन यंत्र लगे है ।	हाँ
19	क्या भवन में विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊंचाई 2.5 मी० एवं होरीजेन्टल दूरी 1.2 मीटर है ।	हाँ
20	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन(11,000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊंचाई 3.70 मीटर है एवं होरीजेन्टल दूरी 2.0 मीटर है ।	हाँ
21	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इक्विपमेंट आई०एस०आई० मार्क सामग्री द्वारा बदले गये है ।	हाँ

प्रमाणित किया जाता है की नन्द रानी कालिज ऑफ फॉर्मेसी 74, उत्तरी आलूथोक भट्टापुरवा जिला-हरदोई भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 तत्सम्बन्धी नियमों में उल्लिखित बिन्दुओं के अधीन निर्मित है ।

सहायक अभियन्ता।  
निर्माण, खण्ड, लो०नि०वि०।  
हरदोई